समाचार

दुकानों प्रतिष्ठानों से उत्सर्जित कचरे को निगम के वाहन में ही दें

(अपर आयुक्त ने ली चेम्बर आफ कामर्स, शादी घर संचालक, होटल एसोसिएशन व व्यापारियों की बैठक)

(निगम द्वारा 13 व्यवसायिक क्षेत्रों में की गई सुबह–शाम डोर–टू–डोर अपशिष्ट संग्रहण की व्यवस्था)

(कचरे के उचित प्रबंधन, प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग रोकने, शहर की स्वच्छता में सबके सहयोग पर रहा फोकस)

कोरबा 28 फरवरी 2022 – आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर निगम के अपर आयुक्त श्री खजांची कुम्हार ने आज जिला चेम्बर आफ कामर्स, शादी घर संचालकों व होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक लेकर उनसे कहा कि निगम द्वारा सभी 13 प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्रों में दिन में दो बार सुबह–शाम डोर–टू–डोर अपशिष्ट संग्रहण की व्यवस्था की गई है, अतः दुकानों, प्रतिष्ठानों से निकले अपशिष्ट को अनिवार्य रूप से निगम के वाहन में ही दें, कचरे को खुले में न फेंके तथा शहर को साफ–सुथरा रखने में सहयोग दें।

आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभाकक्ष में आज चेम्बर आफ कामर्स के पदाधिकारियों, शादी घर संचालकों, होटल एसोसिएशन तथा व्यापारीबंधुओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान निगम के अपर आयुक्त श्री खजांची कुम्हार ने उपस्थित सदस्यों से आग्रह करते हुए कहा कि कोरबा शहर को साफ–सुथरा बनाने, कचरे का उचित प्रबंधन करने, कोरबा को प्लास्टिक फ्री कोरबा बनाने तथा निगम की साफ–सफाई व्यवस्था में अपना सहयोग दें। निगम द्वारा चिन्हाकित 13 व्यवसायिक क्षेत्रों में सुबह और शाम दिन में दो बार अपशिष्ट संग्रहण की व्यवस्था की गई है, अपनी दुकानों से निकले हुए अपशिष्ट को संग्रहित करके रखें तथा जब निगम का वाहन उनके दुकानों, प्रतिष्ठानों में पहुंचे तो वाहन में ही अनिवार्य रूप से कचरे को दें, सड़क, नाली, फुटपाथ आदि में कचरे को न डाले। उन्होने कहा कि निगम द्वारा इस दिशा में सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है तथा निगम का अमला डोर–टू–डोर पहुंचकर समझाईश दे रहा है। इसके पश्चात निगम के वाहन में कचरे को न देकर सड़क, नाली, फुटपाथ आदि में फेंके जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही भी निगम द्वारा की जा सकती है, अतः दण्डात्मक कार्यवाही से बचने के लिए कचरे का उचित समापन कराएं।

आयोजन की सूचना एक दिवस पूर्व दें— बैठक के दौरान शादी, विवाह घर संचालकों से कहा गया कि वे शादी विवाह या अन्य आयोजनों में प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजल आदि का उपयोग न करें, वैकल्पिक साधनों को अपनाएं तथा शादी विवाह या अन्य आयोजनों की सूचना निगम को एक दिवस पूर्व दें ताकि निगम निर्धारित शुल्क जमा कराकर उत्सर्जित कचरे के समुचित प्रबंधन का कार्य कर सके। इसी प्रकार बड़ी मात्रा में कचरे का उत्सर्जन करने वाले वल्क जनरेटरों से कहा गया कि वे खुद कचरे का प्रबंधन करें, अपने प्रतिष्ठानों में कचरे से खाद बनाने की मशीन स्थापित करते हुए कचरे के समुचित प्रबंधन को सुनिश्चित कर सकते हैं।

प्लास्टिक फ्री कोरबा में सहयोग दें— बैठक के दौरान अपर आयुक्त श्री खजांची कुम्हार ने चेम्बर आफ कामर्स के पदाधिकारियों, व्यापारीबंधुओं से आग्रह करते हुए कहा कि दुकानों, प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक से बने कैरीबैग, डिस्पोजल या अन्य सामग्री का उपयोग न करें, इनके स्थान पर वैकल्पिक साधनों को अपनाएं, ग्राहकों को प्रेरित करें कि वे बाजार जाते समय कपड़े, जूट आदि के थैले साथ में लेकर आएं, व्यापारीबंधु अपनी दुकानों में भी कपड़े, जूट आदि की थैले रखें तथा ग्राहाकें की सुविधा व उनकी मांग पर बाजिव दाम पर उन्हें उपलब्ध कराएं।

बैठक के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी, सुनील वर्मा, जिला चेम्बर आफ कामर्स के जनरल सेकेटरी मो.यूनुस मेमन, होटल संचालक अनुप अग्रवाल, योगेश पटेल, शादी घर संचालक ललित शर्मा, पवन कुमार शर्मा, राजेन्द्र तिवारी, सब्जी व्यापारी संघ के सचिव विनोद सिन्हा, छग.चेम्बर आफ कामर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्रवाल, रोटरी क्लब अध्यक्ष विक्रम अग्रवाल, लायंस क्लब से कैलाश अग्रवाल, तुषार अग्रवाल, पीयूष सन्तानी, ए.के.सोना आदि के साथ अन्य लोग उपस्थित थे।